UPGZ010068532026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट), कोर्ट संख्या–2
गाजियाबाद।

उपस्थितः श्रीमती पूनम–II, (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. code No. UP1547
प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1292/2026
कम्प्यूटर पंजीयन संख्या–3116/2026
CNR NO.UPGZ010068532026

1. मोहन त्यागी उर्फ मोहित त्यागी पुत्र श्री बिजेन्द्र त्यागी
निवासी– ग्राम मोरटा, मोरटी, जिला गाजियाबाद
2. चेतन त्यागी पुत्र श्री नरेश त्यागी
निवासी– मकान नं०–308, मोरटा जिला गाजियाबाद।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार

.....अभियोजन

मुकदमा अपराध संख्या–207/2026
धारा–74, 115(2), 352 बी०एन०एस०
थाना– मुरादनगर, गाजियाबाद।

दिनांक 24.06.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मोहन त्यागी उर्फ मोहित त्यागी व चेतन त्यागी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–207/2026, अंतर्गत धारा–74, 115(2), 352 बी०एन०एस०, थाना–मुरादनगर, गाजियाबाद में यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/आवेदकगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें कथन किया गया है कि उसका उपरोक्त नाम व पता सही है। प्रार्थीगण/आवेदकगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना है। प्रार्थीगण/आवेदकगण का कोई जमानत आवेदन मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद व अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) को सुना गया।

4. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादनी मुकदमा नेहा त्यागी ने थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 09.05.2026 को वादनी के पति ने उसके साथ मारपीट, गाली गलौच व जान से मारने की कोशिख की उनके साथ उनका साथी चेतन त्यागी एवं 2 अन्य अज्ञात साथी भी साथ थे बाहर खड़े थे। चेतन त्यागी ने उसके हाथ पकड़े और उसके पति ने उसे सरिये से सर में मारा जिससे वादनी के सर में गंभीर चोटे आयी हैं। पहले भी उसके साथ ऐसा होता आया है। उक्त

Digitally signed by POONAM
Date: 2026.06.25 10:12:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

तहरीर के आधार पर F.I.R. पंजीकृत की गई।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से मुख्य तर्क यह दिये गये है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उपरोक्त अपराध की प्रकृति साधारण का अपराध है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने कोई अपराध किसी भी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उपरोक्त केस से कोई संबंध किसी भी प्रकार का नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई भी निष्पक्ष एवं चश्मदीद पब्लिक का गवाह नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने ना ही वादनी के साथ कोई मारपीट की है और ना ही कोई छेड़छाड़ की है और ना ही जान से मारने की धमकी दी है। प्रार्थीगण/अभियुक्त को केवल पति व पति का दोस्त होने के कारण ही उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध एफ०आई०आर० 7 दिन की देरी से लिखायी गयी है जबकि थाने से घटना स्थल की दूरी मात्र 1 किलोमीटर की है। एफ०आई०आर० देरी से दर्ज कराने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण एक सम्मानित परिवार के व्यक्ति है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मोहन त्यागी व वादनी आपस में पति पत्नी है और आपस में पति पत्नी का विवाद हो ग या था इसी रंजिश के कारण उपरोक्त केस में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसा दिया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को किसी भी न्यायालय द्वारा पूर्व में किसी भी अपराध में दोष सिद्ध नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का न्यायालय के क्षेत्राधिकार का छोड़कर भागने व गवाहों को डराने धमकाने का कोई अन्देशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में केस के गवाहों को डरायेगें धमकायेंगे नहीं। उपरोक्त केस साधारण प्रकृति का केस है और केवल धारा 74 बी०एन०एस० को छोड़कर सभी धारायें जमानतीय अपराध है। उपरोक्त केस के विवेचक द्वारा जब भी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की आवश्यकता होगी प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पेश हो जायेगें। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद या अन्य किसी भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है और न ही उसके विरुद्ध कोई अपराध किसी भी प्रकार का प्रथम दृष्टया साबित होता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को थाना लोनी मुरादनगर गाजियाबाद की पुलिस से गिरफ्तारी का अंदेशा है तथा थाना मुरादनगर की पुलिस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के घर पर दबिश दे रही है तथा धमकी दे रही है कि वह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लेगी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दं०प्र०सं० की अं० धारा 482 की उपधारा 4 में वर्णित अपराधों की श्रेणी में शामिल नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

6. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ०) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7. उभय पक्ष के तर्को पर विचार किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी एवं अन्य प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8. केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण पर वादनी के साथ मारपीट, गाली गलोच व लज्जा भंग करने के आशय से आपराधिक बल का प्रयोग करने के आरोप लगे हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप 7 वर्ष से कम अवधि तक के लिए दण्डनीय है। संबंधित थाने से कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 1 वादनी मुकदमा का पति है जिसका दोस्त होना प्रार्थी/अभियुक्त संख्या–2 होना कहा गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से पंजीकृत करायी गई है। वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न विवाद है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले के गुणदोष पर न जाते हुए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण को उनके द्वारा अंकन 50,000-50,000/-रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन अंदर 15 दिन सम्बन्धित न्यायालय में दाखिल करने पर उन्हें अग्रिम जमानत पर निम्नलिखित शर्तानुसार रिहा किया जाए-

1– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आहूत किये जाने पर एवं दौरान विचारण न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा ।

2– जब भी न्यायालय उन्हें आहूत करेगा, वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा

3– न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जायेगें ।

4– दौरान विवेचना/विचारण वह साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगें तथा दौरान जमानत समान प्रकृति का अपराध कारित नहीं करेंगे।।

5– यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तब न्यायालय उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कर सकता है।

(श्रीमती पूनम–II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायाधीश,(पाक्सो एक्ट)/
न्यायालय सं०–2, गाजियाबाद।
J.O. code No. UP1547

दिनांक 24.06.2026